न्यायालय : विशेष अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो–प्रथम/गैंगेस्टर अधिनियम भदोही

उपस्थितिः लोकेश कुमार मिश्र(एच०जे०एस०)

<u>जमानत प्रार्थनापत्र सं० 215 सन् 2026</u>

<u>CNR No.–UPSN010006782026</u>

पिन्टू बिन्द उम्र लगभग 37 वर्ष पुत्र विजयनाथ बिन्द निवासी ग्राम राजापुर घोसिया वार्ड नंबर 3 थाना औराई, जनपद भदोही।

. ...प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजन पक्ष।

अपराध संख्या– 283 सन् 2024
धारा–3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं
समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण
अधिनियम 1986, थाना–औराई
<u>जनपद –भदोही</u>

<u>दिनांक –10.03.2026</u>

प्रार्थी/अभियुक्त पिन्टू बिन्द की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र थाना औराई ,जनपद –भदोही, अपराध संख्या– 283 सन् 2024 ,अन्तर्गत धारा–3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं माज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपने जमानत प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि उक्त अपराध संख्या व धारा में अभियुक्त उपरोक्त न्यायालय मे यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल कर रहा है, इसके पूर्व न तो जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था न बिचाराधीन है न खारिज हुआ है। उक्त अपराध संख्या व धारा में अभियुक्त उपरोक्त उक्त जमानत प्रार्थना पत्र के पूर्व न तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया है न बिचाराधीन है, न खारिज ही हुआ है। उक्त अपराध संख्या व धारा में थाना औराई की पुलिस द्वारा जिस मुकदमे का हवाला देते हुए अभियुक्त के बिरूद्ध उक्त धारा के अन्तर्गत कार्यवाही की है जो मात्र अपने अधिकार का दुरूपयोग करते हुए बिना सही तथ्य के सारी कार्यवाही की गयी है, जिसका

कोई सही स्पष्टीकरण नही है। उक्त अपराध संख्या व धारा में जिस मुकदमे के बाबत कार्यवाही की गयी है, वह घटना सायं 6:00 बजे की कही गयी है, जो मेन रोड की है, जहाँ पर बराबर लोगों का आवागमन होता है, वैसी सड़क पर किसी व्यक्ति के द्वारा इस ढंग की घटना कारित करना किसी व्यक्ति के साथ असम्भव है, और अभियुक्त उपरोक्त का उक्त मुकदमे मे कोई विशेष रोल नही है, सभी अभियुक्तगण का रोल समान है, जबकि वादी मुकदमा ने भी अभियुक्त का कोर्ट रोल नहीं कहा है, अगर अभियुक्त द्वारा कोई घटना कारित की गयी होती तो वादी मुकदमा अवश्य ही दौरान विवेचना विवेचक को उस बात का अपने बयान में उल्लेख किया होता। उक्त मुकदमे से सम्बन्धित उक्त मुकदमा वादी व मृतक यादव बिरादरी के है और दोनो सगे भाई है, अभियुक्त बिन्द बिरादरी के है, जो मृतक बिरादरी की लड़कियो को आते–जाते गलत शब्दों का प्रयोग किया करता था व अश्लील हरकत भी किया करता था, जो बिन्द बिरादरी के लोग उलाहना भी दिये थे। उसके बावजूद मृतक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और न तो उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन ही हुआ। स्वतंत्र साक्षी ने इस बात का उल्लेख अपने बयान मे किया है, कि मृतक और अभियुक्त पिन्टू बिन्द किसी के दरवाजे पर बैठ कर शराब दिये जो मृतक शराब पीने के बाद बिन्द बिरादरी को मॉ बहन की गाली देने लगे, जो वहाँ पर मौजूद लोगों ने गाली देने से मना किया कि तुम शराब पिये हो तुम अपने घर जाओ उसके बाद भी मृतक नहीं माना, अभियुक्त पिन्टू बिन्द व मृतक से काफी विवाद हुआ क्योंकि पिन्टू के शरीर पर भी चोट का निशान है, अभियुक्त पिन्टू के चोट के बारे में वादी मुकदमा ने अपने प्रथम सूचना रिपोर्ट मे कोई उल्लेख नहीं किया है, इस आधार पर भी प्रथम सूचना रिपोर्ट की कथानक स्पष्ट रूप से झूठी व बनावटी प्रतीत होती है। उपरोक्त मुकदमे म अभियुक्त विष्णु बिन्द घटना कारित होते समय जानकारी होने पर स्वयं अपनी मोबाइल नंबर 700753xxxx से थाना औराई को फोन किया व थाना औराई की पुलिस स्वयं घटना स्थल पर जाते समय घटना के स्थल के कुछ दूर पर ही रास्ते मे पकड़ ली और थाना औराई ले गयी और उक्त मुकदमे में चलान कर दी जबकि अभियुक्त बिष्णु बिन्द घटना के बाबत सूचना देने का कार्य किया है, और अभियुक्त की मोबाईल थाना औराई के पास है। थाना औराई की पुलिस व वादी मुकदमा द्वारा अपने प्रथम सूचना रिपोर्ट व गैगेस्टर की कार्यवाही करते समय जिस ढंग की कथानक कही गयी है व उल्लेख किया गया है, व दौरान विवेचना लिखा गया है, वैसी किसी घटना के बारे में अभियुक्त को कोई जानकारी नहीं है, न ही अभियुक्त ने वैसी कोई घटना ही कारित किया है। उपरोक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त का किसी गैंग से कोई सम्बन्ध नहीं है, न ही कोई गोल है, न ही किसी अन्य अभियुक्त से वास्ता सरोकार है, न किर्सी अपराध से कोई लेना देना है, अभियुक्त निर्दोष है। उपरोक्त मुकदमे में अभियुक्त ने उक्त धारा के अन्तर्गत कोई अपराध कारित

नहीं किया है, न ही अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध उक्त धारा का प्रथम दृष्टया अपराध बनता है। उपरोक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त उचित जमानत मुचलिका देने को तैयार है, न्यायालय के हर आदेश का पालन करेगा। न्यायालय निश्चित तिथियों पर हाजिर आवेगा। जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा, इसलिए अभियुक्त उपरोक्त को उक्त अपराध संख्या व धारा में उचित जमानत मुचलिका पर जमानत पर छोड़े जाने की याचना की गई है।

उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगेस्टर एक्ट) ने तर्क प्रस्तुत किया कि गैंग चार्ट के अनुसार अभियुक्त पिन्टू बिन्द एक अपराध में संलिप्त है। इसका स्वच्छन्द रुप से विचरण करना समाज एवं लोकहित में हितकर नहीं है।

गैंग चार्ट के अनुसार अभियुक्त पिन्टू बिन्द के विरुद्ध इस जनपद के थाना – औराई, जनपद भदोही में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जो इस प्रकार से हैं:–

क्र० सं०	अपराध संख्या	धारा	थाना एवं जनपद
1.	185/2024	103(1),3(5),61(2) भा०द०वि०	औराई, जनपद भदोही।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने यह भी तर्क दिया कि अभियुक्त आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति है तथा गैंग बनाकर अपने व अपने गैंग के सदस्यों के आर्थिक,भौतिक एवं अनुचित दुनियाबी लाभ के लिए अपराध कारित करता है और इसका समाज में भय एवं आतंक व्याप्त है। अभियुक्त के विरुद्ध जो अभियोग पंजीकृत हुआ है, उसमें आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। गैंग के लीडर रमेश बिन्द के साथ सहअभियुक्तगण पिन्टू बिन्द, विष्णु बिन्द व दिनेश बिन्द का उपरोक्त कार्य धारा –3 (1)उ०प्र० गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की परिधि में आता है। अभियुक्त पिन्टू बिन्द तथा अन्य सह अभियुक्तगण के विरुद्ध के विरुद्ध गैंग चार्ट तैयार कराकर जिला मजिस्ट्रेट भदोही से दिनांक 22.11.2024 को अनुमोदित कराकर अभियोग पंजीकृत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विशेष लोक अभियोजक गैंगेस्टर एक्ट को सुना गया तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा–19(4) निम्न प्रकार से है–

19(4)– *संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन दण्डनीय अपराध से आरोपित किसी व्यक्ति को यदि वह अभिरक्षा में है, जमानत पर या उसके अपने बन्धपत्र पर तब तक नहीं छोड़ा जायेगा, जब तक कि–*

(क) लोक अभियोजक को ऐसे छोड़े जाने के आवेदन का विरोध करने का अवसर नहीं दिया जाता; और

(ख) जहाँ लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहाँ न्यायालय का समाधान न हो जाये कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि यदि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जमानत पर रहते समय उसके द्वारा कोई अपराध करने की सम्भावना नहीं है।

रामू उर्फ अरुण कुमार पाण्डेय बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश राज्य, क्रिमिनल मिस्लेनियस बेल अप्लीकेशन नम्बर 27052/2008 के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा–19(4)(ख) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत जमानत आवेदन पर सुनवाई करते समय न्यायालय को विश्वास करने का आधार होना चाहिए कि अभियुक्त उक्त अपराध का दोषी नहीं है, जैसा कि अभियुक्त द्वारा किया जाना कहा जा रहा है और जमानत पर छोड़े जाने की दशा में वह पुनः उक्त अपराध कारित नहीं करेगा।

प्रथम दृष्टया पुलिस प्रपत्र एवं केश डायरी के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर हत्या जैसे गंभीर अपराध कारित किये जाने का अभियोग है। केस डायरी के अनुसार अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर मूल मुकदमे के वादी मुकदमा के भाई की हत्या करने का तथ्य प्रथम दृष्टया दर्शित किया गया है, जिसमें आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। गैंगचार्ट के अनुसार अभियुक्त की अन्य सहअभियुक्तगण के साथ भूमिका बतायी गयी है। अतः जो व्यक्ति गैंग के सदस्य के रूप में समाज विरोधी क्रिया कलाप को उत्प्रेरित करता है या प्रश्रय देता है या सहायता करता है, वह भी दायी होता है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध गैंगचार्ट में एक अभियोग पंजीबद्ध होना दर्शित है एवं एक आपराधिक मुकदमें के आधार पर भी गैंगेस्टर की कार्यवाही की जा सकती है। जमानत आवेदन पर सुनवाई करते समय साक्ष्य के गुण–दोषों पर विचार नहीं किया जाता है।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, अभियुक्त के विरुद्ध दर्शित आपराधिक कृत्य तथा अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का कोई न्यायोचित आधार प्रतीत नहीं होता है। तदानुसार अभियुक्त की ओर से उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त पिन्टू बिन्द की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–283/2024 धारा–3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं माज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986, थाना–औराई, जनपद–भदोही के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक– 10.03.2026

(लोकेश कुमार मिश्र)
विशेष अपर सत्र न्यायाधीश/ पॉक्सो प्रथम/
गैंगेस्टर एक्ट, भदोही ज्ञानपुर।

Digitally signed by Lokesh Kumar Mishra
Date: 2026.03.31 16:00:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court